भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5029
उत्तर देने की तारीख-23/03/2026

राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार

5029. श्री गिरिधारी यादव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश निजी स्कूलों में प्रवेश साक्षात्कार अंग्रेजी में आयोजित करने की अनिवार्य आवश्यकता तथा विद्यालय परिसर में तथा घर पर केवल अंग्रेजी में बोलने और अध्ययन करने की बाध्यता के कारण राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास बाधित हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का ऐसी बाध्यताओं को समाप्त करने तथा हिंदी के समुचित विकास और प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बनाने अथवा दिशानिर्देश जारी करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए वर्तमान में प्रचलित अन्य सरकारी योजनाओं और पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, में भारत में प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1-8) में प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें बच्चों या माता-पिता की जांच या साक्षात्कार शामिल हैं, जो शिक्षा तक पहुंच में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने और अधिकांश स्कूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में होने के कारण इस मामले में समुचित सरकार के रूप में संबंधित राज्य/संघ की जिम्मेदारी है।

तथापि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में यह अधिदेश दिया गया है कि कम से कम कक्षा 5 तक, और अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, घरेलू

भाषा या स्थानीय भाषा हो। यह किसी भी राज्य में हिंदी सहित किसी भी भाषा को अधिरोपित किए बिना बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है, देशी भाषाओं के माध्यम से वैचारिक समझ को पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही, एनईपी 2020 में इस बात पर जोर दिया गया है कि मातृभाषा में शिक्षण संज्ञानात्मक क्षमताओं, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करता है और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है।

एनईपी 2020 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि विज्ञान सहित उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें, घरेलू भाषाओं/मातृभाषाओं में उपलब्ध कराई जाएं; और यह निर्देश भी दिया गया है कि जहाँ ऐसी सामग्री उपलब्ध न भी हो, वहाँ भी शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद की भाषा, जहाँ तक संभव हो, घरेलू भाषा/मातृभाषा ही रहनी चाहिए। द्विभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री शामिल करते हुये शिक्षकों को उन छात्रों के लिए द्विभाषी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिनकी घरेलू भाषा शिक्षण के माध्यम से भिन्न हो सकती है । त्रि-भाषा सूत्र को अब और अधिक लोचशीलता के साथ लागू किया जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी बच्चे द्वारा पढ़ी जाने वाली तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएँ भारत की ही हों। किसी भी राज्य या विद्यार्थी पर कोई भी भाषा अधिरोपित नहीं नहीं जाएगी।
